भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4963
दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

मानव दुर्व्यापार

4963. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पत्तनों, विमानपत्तनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मानव दुर्व्यापार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/पत्तन-वार विमान पत्तन-वार और सीमा-वार ब्यौरा क्या है तथा इस तरह की घटनाओं की संख्या कितनी है और इनमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;
(ग) क्या कई राज्यों ने इस समस्या का समाधन करने के लिए संयुक्त प्रयासों संबंधी प्रस्ताव सौंपे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए बांग्लादेश के साथ किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मानव दुर्व्यापार को रोकने तथा मानव दुर्व्यापार प्रवण क्षेत्रों में 'वन स्टॉप सेंटर' खोलने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ''क्राइम इन इंडिया'' में मानव दुर्व्यापार सहित अपराध से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित आकड़ा वर्ष 2016 से संबंधित है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि पत्तनों/विमानपत्तनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मानव दुर्व्यापार की घटनाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है। वर्ष 2014-16 के दौरान मानव दुर्व्यापार के सूचित मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग) से (ड.): मानव दुर्व्यापार, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, रिकवरी, प्रत्यावर्तन तथा उनको परिवार से दोबारा मिलाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 06 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत मानव दुर्व्यपार के अपराध से निपटने में सक्षम हैं।

तथापि, गृह मंत्रालय ने दुर्व्यापार की समस्या का निराकरण करने के लिए राज्यों के विभिन्न जिलों में 332 मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटें स्थापित करने में राज्यों को सहायता प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी भी जारी की हैं, जिनमें दुर्व्यापार की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) दी गई हैं। गृह मंत्रालय दुर्व्यापार से संबंधित कानून के नवीनतम प्रावधानों और दुर्व्यापार के अपराध पर काबू पाने में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों को अवगत कराने के लिए नियमित रूप से 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' और 'न्यायिक वार्ता' आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों तथा न्यायिक अकादमियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। गृह मंत्रालय समय-समय पर मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटों के नोडल अधिकारियों की बैठकें भी आयोजित करता है। मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटों के नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान, राज्य के कुछ प्रतिनिधियों ने पीड़ितों के बचाव तथा अपराधियों की जांच और अभियोजन के लिए अंतर-राज्य समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया था। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय की एडवाइजरी जारी की थी कि वे कानून लागू करने वाले संबंधित अधिकारियों के बीच कारगर अंतर-राज्य समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करें। उनको यह भी सलाह दी गई थी कि वे दुर्व्यापार के पीड़ितों तथा दुर्व्यापारियों के बारे में परस्पर सूचना को साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, जिससे प्रणाली और अधिक दुरूस्त होगी तथा अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने में और अधिक दक्षता आएगी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की योजना कार्यान्वित कर रहा है। देश में कुल 506 ओएससी कार्यरत हैं।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2014-16 के दौरान मानव दुर्व्यापार के सूचित मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014		2015		2016	
		सूचित मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	सूचित मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	सूचित मामले	गिरफ्तार व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	4	164	190	626	239	599
2	अरुणाचल प्रदेश	39	26	11	18	2	5
3	असम	105	88	183	286	91	98
4	बिहार	85	295	52	77	43	114
5	छत्तीसगढ़	80	167	65	120	68	193
6	गोवा	32	149	30	98	40	76
7	गुजरात	60	160	383	504	548	554
8	हरियाणा	44	156	75	241	51	281
9	हिमाचल प्रदेश	8	124	11	341	8	223
10	जम्मू और कश्मीर	2	12	2	2	0	0
11	झारखंड	148	123	228	73	109	83
12	कर्नाटक	317	1623	379	1025	404	1273
13	केरल	5	6	23	37	21	157
14	मध्य प्रदेश	41	171	49	170	51	170
15	महाराष्ट्र	356	802	692	1404	517	1173
16	मणिपुर	39	9	1	1	3	5
17	मेघालय	5	36	1	3	7	14
18	मिजोरम	0	0	0	0	2	5
19	नागालैंड	2	8	2	10	0	0
20	ओडिशा	765	410	73	86	84	150
21	पंजाब	3	5	8	19	13	28
22	राजस्थान	464	587	1262	1100	1422	1087
23	सिक्किम	0	0	0	0	1	1
24	तमिलनाडु	379	765	464	915	434	1725
25	तेलंगाना	176	460	606	877	229	591
26	त्रिपुरा	1	4	1	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	25	17	22	111	79	172
28	उत्तराखंड	43	155	29	128	12	37
29	पश्चिम बंगाल	1768	1384	2099	1637	3579	1847
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	12	1	3	1	7
31	चंडीगढ़	12	17	22	31	1	3
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	7	47	1	4	7	38
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	200	199	177	128	66	106
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	17	39	1	5	0	0
	कुल	**5235**	**8220**	**7143**	**10080**	**8132**	**10815**

******